तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
22/1/19	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। नगर नियोजन विभाग से रिपोर्ट अप्राप्त। अंतिम इन्तजार रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 5/2/19 को पेश हो।	
5/2/19	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। नगर नियोजन विभाग से रिपोर्ट अप्राप्त। अंतिम इन्तजार रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 5/3/19 को पेश हो।	
9/4/19	आज पत्रावली जजश्री के समक्ष पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। नगर नियोजन विभाग से रिपोर्ट अप्राप्त है। अंतिम इन्तजार पत्रावली दिनांक 23/4/19 को पेश हो।	
23/4/19	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। नगर नियोजन विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार प्रकरण में नगर नियोजन विभाग में कार्यवाही की गयी एवं नगर नियोजन राज० जयपुर के परिपत्र दिनांक 15/5/2012 की पालना में पैमाइश किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को न्यायालय स्तर पर अवलोकन किया गया। उभयपक्षगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की गहनता से जांच की गई। समस्त दस्तावेजात के अवलोकन करने के पश्चात स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा दिनांक भूमि को आधार बनाकर वर्ष 2000 में औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित कराया जिसकी तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा राजस्व अभिलेखों में दुरुस्ती की गई। तत्पश्चात वादीगण द्वारा उद्योग का पंजीयन कराकर रूपान्तरित भूमि पर स्टोन क्रेशर स्थापित किया गया। पटवारी द्वारा वादीगण को नकल जमाबन्दी दिनांक 27/10/2004 को एवं एक अन्य नकल दिनांक 19/11/2011 को जारी की गई। उक्त दोनों नकलों में वादीगण का ख०नं० 3627/1 अंकित है। इसके अलावा खसरा ख०नं० 3627/1 में वादीगण का ख०नं० 3627/1/1 खातेदारी खसरा 3627/1 का विभाजन राजस्व अभिलेखों में अंकित है जिनके नवीन नंबर क्रमशः 1694 व 1695 है। ऐसी स्थिति में मूल खसरा नं० 3627/1 के स्थान पर ख०नं० 1694 व 1695 को ही अंकित किया जा सकता है पूर्व ख०नं० 3627/1	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

स.नं. 3627/1 से क्रमांक नंबर है। जिसको 3627/1 की सीमा में तरमीम कर स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसप्रकार स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वांछित नक्शा मुहिर किया जाना उचित है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि वर्तमान नक्शा ग्राम सरमथुरा में अंकित स.नं. 3695/2941, 1694 व 1695 के कुल क्षेत्र में वादीगण द्वारा प्रस्तुत मूल नक्शे दैसरिमांक 27/12/2004 एवं 19/1/2011 के अनुसार वादीगण के स.नं. 1694 तथा शेष भाग पंचायत विभाग के स.नं. 1695 को अंकित किया जावे। स.नं. 3695/2941 को पटवारी हल्का एवं मूल अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण कर खोदकार के कब्जे वाले स्थान पर नियमानुसार अंकित किया जावे। निर्णय क्रमांक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तस्दीक दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया जाय।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सरमथुरा (धौलपुर) राज.